अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1852 [सं. 57/2010 (एफ. सं. 203/156/2009 आईटीए.II)], दिनांक 20-7-2010

सामान्य जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि संगठन मेप्को शेलेंक इंजीनियरिंग कॉलेज शिवकाशी, तमिलनाडु को केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजन के लिए, आयकर नियम, 1962 (उक्त नियम) के नियम 5ग और 5ड़ के साथ पठित, निर्धारण वर्ष 2010-2011 से आगे 'कॉलेज' की श्रेणी में, आंशिक रूप से अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है, अर्थात्:-

(*i*) अनुमोदित संगठन को भुगतान की गई राशि का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा;

(*ii*) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों या अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;

(*iii*) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों के संबंध में अलग खाता-बही रखेगा, उसमें अनुसंधान करने के लिए उपयोग की गई राशियों को दर्शाएगा, ऐसी बहियों का उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) की व्याख्या में परिभाषित लेखाकार से ऑडिट कराएगा और ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसे ऑडिट की रिपोर्ट उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय की विवरणी भरने की नियत तिथि तक आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को, जिसके क्षेत्राधिकार में मामला आता है, प्रस्तुत करेगा;

(*iv*) अनुमोदित संगठन को प्राप्त दान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त राशि का पृथक विवरण रखना होगा तथा लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे विवरण की एक प्रति ऊपर उल्लिखित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

2.केंद्र सरकार अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठनः-

(*a*) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में संदर्भित अलग खाता-बही रखने में विफल होता है; या

(*b*) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में संदर्भित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(*c*) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में संदर्भित प्राप्त दान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लागू राशि का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(*d*) अपनी अनुसंधान गतिविधियाँ जारी रखना बंद कर देता है या उसकी अनुसंधान गतिविधियाँ वास्तविक नहीं पाई जाती हैं; या

(*e*) उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के उक्त नियम के नियम 5ग और 5ड़ के साथ पठित प्रावधानों के अनुरूप और अनुपालन करना बंद कर देता है।

■■